प्रकाशक, उड़ीसा लोक सेवा आयोग प्रकाशक लोक सेवा आयोग

..... मानक .....

..... पृष्ठ ..... OF ..... पृष्ठ

	पृष्ठ भाग
12/11/3	पत्रावली पेश की गई। उपस्थित हुआ। वाद अधिवक्ता उपस्थित हुए। वाद मुताबिक आवेदन व जवाब आख्या है। वाद पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थिगण हितों का निर्धारण मूल वाद में किया जाना है तथा दौरान वाद विवादित भूमि के मौके पर रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थिगण के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बहुलता के बढ़ने की संभावना है। अतः वाद बहुलता को रोकने के लिए तथा प्रार्थिगण के हितों की रक्षा के लिए विवादित भूमि के मौके पर रिकार्ड की स्थिति बनाये रखे जाने बाबत किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थिगण को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थिगण को भारिय आख्या के माध्यम से ~~[illegible]~~ पकड़ किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 61 रकबा 2.55 हैक्टर वाद बहुलता लोकर तहसील किशनगढ़ की भूमि पर वाद दौरान वाद मौके पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैलाश कुमार हेका नम्बर सेक्शन है। (शाखा) दफ्तर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर